रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2016/भाद्र 29, 1938
No. 657] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016/BHADRA 29, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2016

सा. का. नि. 895(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531(अ), तारीख 18 मई, 2016 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 18 मई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2016 है ।
 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के, उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस नियम के उपबंध दो चरणों में कार्यान्वित होंगे ।

प्रथम चरण में, एआईएस 052 (आरईवी.1)-2008 के उपबंध, नीचे सारणी 1 में दिए गए पैरामीटर और अपेक्षाएं को छोड़कर, 1 जनवरी, 2017 को और उसके पश्चात् लागू होंगे ।

दूसरे चरण में, जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-052 (आरईवी.1)-2008 के उपबंध, और नीचे सारणी-1 में दिए गए पैरामीटर तथा अपेक्षाएं, 1 जनवरी, 2018 को और उसके पश्चात् लागू होंगे ।"

सारणी-1

(दूसरे चरण के लिए एआईएस:052 (आरईवी-1) के अतिरिक्त तकनीकी उपबंध)

क्रम सं.	जांच/पैरामीटर की प्रकृति	एआईएस-052 (आरईवी.1) के विनिर्दिष्ट खंडों की अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)
1.	विस्तार और परिभाषा (जैसा लागू हो)	1.0
2.	बाडी संरचना सामर्थ्य	3.1
3.	बाडी संरचना स्थिरता	3.2
4.	खिड़की प्रतिधारण	3.6
5.	खिड़की की चौखटें	3.6.5.5
6.	विंड स्क्रीन वाईपिंग प्रणाली और चालक की दृष्टि का क्षेत्र	3.10
7.	परीक्षण पध्दति (जैसा लागू हो)	अध्याय 6
8.	डिप्ड-बीम हैड लैंप के लिए ऊर्ध्व अभिविन्यास	उपाबंध-1, शीर्षक सहित सारणी "सुरक्षा क्रांतिक घटकों/प्रणालियों का ब्यौरा।"
9.	आसर लंगर सीट	

[फा. सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 889(अ), तारीख 16.09.2016 को संशोधित किए गए ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2016

G.S.R. 895(E).—WHEREAS the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 531 (E), dated the 18th May, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th May, 2016;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, in sub-rule (1), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the provision of this rule shall be implemented in two phases.

In first phase, the provisions of AIS 052(Rev. 1) – 2008, excluding the parameters and requirements given in Table-1 below, shall be applicable on and after 1st day of January, 2017.

In second phase, the provisions of AIS-052(Rev. 1) – 2008, as amended from time to time, and the parameters and requirements given in (Table-1) below, shall be applicable on and after 1st day of January, 2018.

(Table -1)

(Additional Technical Provisions of AIS: 052(Rev-1))

Sr. No.	**Nature of Test / Parameters**	**Requirements of Specific Clauses of AIS-052 (Rev.1)**
(1)	(2)	(3)
1.	Scope and Definitions (As applicable)	1.0
2.	Body Structure Strength	3.1
3.	Body Structure Stability	3.2
4.	Window Retention	3.6
5.	Window Frames	3.6.5.5
6.	Wind Screen Wiping System and Driver's field of Vision	3.10
7.	Test Methods (As applicable)	Chapter 6
8.	Vertical orientation for dipped beam - head lamp	Annexure I, Table with title "Details about Safety Critical Components / Systems."
9.	Seat Anchorages	

IndiaCode

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G. S. R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 889(E) dated the 16.09.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.21 13:26:50 +05'30'